



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-684

New Delhi: 16.09.2020

Sh. Rajbahadur Singh
S/o Late Sh. Rameshwar Singh
Village-Kala Ka Purva
Post-Bhimsen, Rampur Bhimsen
Distt.-Kanpur Nagar
UP-209305
Mobile-7376544692


Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated nil received in this office on 09.09.2020.

Information as obtained from the concerned record holding office is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.


16.09.2020

(S.K. Roy)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skroy@dfcc.co.in

011-23454707

DA: 01 sheet

No.: ALD (W)EN/RTI/49 –(Vol-IV)

Date: 15.09.2020

एस. के. रॉय
डी.जी.एम/एडमिन (पी.आई.ओ.)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
नई दिल्ली।


विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री राजबहादुर सिंह पुत्र श्री रामेश्वर सिंह द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में।

संदर्भ: (1) पत्रांक 2020/HQ/ADMIN/RTI-684 दिनांक 09.09.2020।

महोदय,

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राजबहादुर सिंह पुत्र श्री रामेश्वर सिंह द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक/इंजी० कानपुर को आवेदन प्रतिप्रेषित किया गया था, अतः आवेदककर्ता को वांछित सूचना, परियोजना प्रबंधक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, जिसका विवरण बिन्दुवार निम्नवत् है:-

1. बिन्दु संख्या 01 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि डी.एफ.सी.सी.आई.एल. की मालभाड़ा परियोजना हेतु जनपद कानपुर नगर में भूमि का अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) कानपुर नगर द्वारा किया गया है एवं उसका कब्जा डी.एफ.सी.सी.आई.एल. को प्राप्त है।
2. बिन्दु संख्या 02 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि गाटा संख्या 792 के अधिग्रहण की कार्यवाही रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) कानपुर नगर द्वारा किया गया है एवं इस गाटा संख्या में स्थित पेड़ों के प्रतिकर का भुगतान सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) कानपुर नगर द्वारा नियमानुसार किया जा चुका है।
3. बिन्दु संख्या 03 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त लीज आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित अभिलेख आदि इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
4. इस कार्यालय का पत्रांक ALD (W)EN/RTI/49 –(Vol-IV) दिनांक 13.08.2020 द्वारा आर.टी. आई. संख्या 593 के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी सूचना तथ्यों के आधार पर थी।
5. बिन्दु संख्या 05 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गाटा संख्या 92 परियोजना से प्रभावित नहीं है।


(अजीत कुमार सिंह)
उप परि० प्र०/ए.पी.आई.ओ.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
इलाहाबाद (पश्चिम)